केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/125 दिनांक: 07.06.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00111

अपीलकर्ता : श्री नवीन कुमार,
द्वारा- श्री किशोरी लाल,
पादरी की हवेली, रूस्तर पीर की गली,
पो0 - पटना सिटी, जिला - पटना,
बिहार - 800008.

निर्णय की तारीख: 07.06.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.03.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	-----
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	-----
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.05.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	178/06.06.2019 (13200/04.06.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 11.03.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/MHOME/A/2017/140646 एवं CIC/MHOME/A/2017/146761 की सुनवाई से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के साथ आर.टी.आई. आवेदन की प्रति संलग्न करते हुए उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न आर.टी.आई. आवेदन की जांच करने पर पाया गया कि :-

- अपीलकर्ता का दिनांक 11.03.2019 के आवेदन का केन्द्रीय सूचना आयोग के डाक अनुभाग द्वारा ठीक से जांच/अवलोकन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप जिसे आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को अग्रसारित किया जाना था उसे कम्पलायंस सेल को अग्रसारित कर दिया गया ।
- कम्पलायंस सेल द्वारा भी अपीलकर्ता के दिनांक 11.03.2019 के आवेदन की बिना सही प्रकार से जांच किए द्वितीय अपील सं. CIC/MHOME/A/2017/140646 के साथ लिंक कर दिया गया ।
- द्वितीय अपील सं. CIC/MHOME/A/2017/140646 से संबंधित उप-पंजीयक द्वारा भी अपीलकर्ता के दिनांक 11.03.2019 के आवेदन की ठीक प्रकार से जांच नहीं की गई ।

तद्नुसार श्री आर. पी. सिंह, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (डाक अनुभाग), श्री राजेश मोंगिया, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (कम्पलायंस सेल) एवं श्री एस. एस. रोहिला, उप-पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय) को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाले सभी दस्तावेजों की ठीक प्रकार से जांच एवं नियमानुसार शीध्र अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए साथ ही सभी उप-पंजीयकों को सलाह दी जाती है कि प्राप्त दस्तावेजों की ठीक प्रकार से जांच की जाए ताकि इस प्रकार की गलती की पुनरावृति न हो ।

3. प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न आर.टी.आई. आवेदन की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न करते हुए श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन को यथाशीघ्र पंजीकृत कर सूचना उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

राकेश

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री टी.बी.जे.एस.राजप्पा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली - आर.टी.आई. आवेदन की प्रति सहित ।
2. श्री. आर. पी. सिंह, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (डाक अनुभाग), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री राजेश मोंगिया, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (कम्पलायंस सेल), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
4. श्री एस. एस. रोहिला, उप-पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय) केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
5. सभी उप-पंजीयक, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
6. DO to IC (BJ) — M.L. Meena
7. DO to IC (SC) — Deepak, D.C.O.-IC-SC 7/6/19
8. DO to IC (VN) — 7/6/19
9. DO to IC (NG) — 7/6/19
10. DO to IC (YS) — 7/6/19
11. DO to IC (DP) — 7/6/19

रवि कुमार
डाक अनुभाग

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
07 JUN 2019
D. No............
Initials............